संख्या-845/22-4-2010-48(70)/94

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 **लखनऊ:दिनांक- 21 मई,2010**

विषयः- स्थानान्तरणीय जिला कारागार मुजफ्फरनगर के लिए कारागार निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली कृषकों की 22.734 हेक्टेयर भूमि के प्रतिकर की 70 प्रतिशत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-10726/नम-4/(4) दिनांक-12.04.2010 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-1153/22-4-2008-48(70)/94 दिनांक-06 जून, 2008 एवं शासनादेश संख्या-1003/22-4-2009-48(70)/94 दिनांक-18.06.2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मुजफ्फरनगर के स्थानान्तरणाधीन जिला कारागार के निर्माण हेतु ग्राम मीरापुर तहसील, परगना व जिला मुजफ्फरनगर में कृषकों की चयनित कुल भूमि 22.734 हेक्टेयर के क्रय/अधिग्रहण हेतु भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4(1)/17(1) के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या-442/22-4-08-48(70)/94 दिनांक-05 मार्च, 2010 के क्रम में अनुमानित प्रतिकर रु0-07,73,87,373.00 (रूपये सात करोड़ तिहेत्तर लाख सत्तासी हजार तीन सौ तिहेत्तर मात्र) का 70 प्रतिशत अर्थात रु0-5,41,71,161.00 (रूपये-पॉच करोड़ इकतालीस लाख इकहत्तर हजार एक सौ इकसठ मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-2011 के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-08-कारागारों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या ई-12-1190/दस-2010 दिनांक-20 मई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।

P.T.O

संख्या-845(1)/22-4-2010-तद् दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम,उ.प्र.,इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।